

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नारायण बनाम देवाताम वगैरे

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताकार जज

श्रीवती वर 15/03/2022

अ.नं- 136/06

~~वकील प्रार्थी ने पूर्व में दिनांक 10.02.2022 को प्रार्थना पत्र विद्वा पेश कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्वा किये जाने का निवेदन किया गया था। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्वा कर खारीज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।~~

30.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में दकील प्रार्थी ने पूर्व में दिनांक 10.02.2022 को प्रार्थना पत्र विद्वा पेश कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्वा किये जाने का निवेदन किया गया था। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्वा कर खारीज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

( दिलीप सिंह )

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

